संख्या-26 /2022/ I/205721/2022/ 71-4099/1088/2021

प्रेषक,

आलोक कुमार ,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर,
शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

चिकित्स शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 26 अगस्त, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26 -मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पीजीआईसीएच/ एमएम//एमओएस/2022-23/78, दिनांक 07-06-2022 एवं पत्र संख्या-पीजीआईसीएच/ एमएम//एमओएस/2022-23/79, दिनांक 07-06-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26 -मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष एम०सी०आई० मानको को पूर्ण किये जाने एवं संस्थान के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी गयी सूची को अनुमोदित करते हुए उपकरणों को क्रय किये जाने हेतु रू0 15,00,00,000.00 (रूपया पन्द्रह करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबंधों

i. स्वीकृत धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही व्यय कर लिया जायेगा।

ii. धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।

iii. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी पी0एल0ए0/बैंक /डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा।

iv. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

v. उपकरणों का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 उ0प्र0 प्रक्योरमेन्ट मैनुअल एवं उद्योग विभाग द्वारा समय.समय पर जारी होने वाले क्रय संबंधी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा , इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा। भण्डार क्रय संबंधी नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

vi. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी/संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

vii. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

viii. संबंधित उपकरण/संयंत्र की क्रय प्रक्रिया में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

ix. क्रय किये जाने वाले उपकरण चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत उपकरणों के क्रय संबंधी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार ही उपकरण क्रय किये जाएगें।

x. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा।

xi. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

xii. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियां न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों का यथासम्भव समावेश किया जाए।

xiii. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा समय.समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

xiv. क्रय किये जाने वाले उपकरण संस्थान की विभागवार अति आवश्यकता एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार ही उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।

xv. धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त अधिकारी , बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान द्वारा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

xvi. क्रय किये जा रहे उपकरणों के आडिट का उत्तरदायित्व निदेशक संस्थान का होगा।

xvii. संस्थान द्वारा उपकरणों की सूची में उल्लिखित जो उपकरण रू0 50.00 लाख से अधिक के हैए को एच0एल0पी0सी0 के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

xviii. उपकरणों को सुसंगत नियमों के तहत गुणवत्ता के साथ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए युक्ति संगत दरों पर क्रय किया जाय तथा उपकरणों का Specification गुणवत्ता/आवश्य कता/उपयोगिता सुनिश्चित करने का दायित्व महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ तथा संस्थान के निदेशक एवं वित्त अधिकारी का होगा।

xix. प्रश्नगत उपकरणों की तकनीकी विशिष्टताएं डा0 अविनाश अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त ही क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

xx. संस्थान द्वारा उपर्युक्त उपकरणों की सूची में जो रू0 50.00 लाख से अधिक के उपकरण है, को एच0एल0पी0सी0 के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

xxi. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

xxii. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, बाल चिकित्सालय एवं स्नातकौत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा द्वारा आहरित किया जाएगा

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपए 15,00,00,000 (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष-20222023 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-031 लेखा शीर्षक 4210031057000 सुपर स्पेशियलिटी बाल

चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान नोएडा मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्यां-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त्वत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियेाजन अनुभाग-4/ वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. नोडल अधिकारी/ संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या- 26 /2022/ I/205721 /2022/ 71-4099/1088/2021 का संलग्नक

Sl. No.	Department	Equipment Name	Qty.	Approx. cost per unit	Approx. cost Total
1	Cardiology	Non Invasive Cardiac Output Monitoring System (Proprietary item)	01	20,00,000.00	20,00,000.00
2		2D EchocardioGraphy System	01	95,00,000.00	95,00,000.00
3		Computerised stress Test system(TMT)	01	5,00,000.00	5,00,000.00
4		12 LEAD ECG MACHINE	02	2,50,000.00	5,00,000.00
5	Urology	Cystoscope	01	5,00,000.00	5,00,000.00
6		Uretero-Renoscope	01	5,00,000.00	5,00,000.00
7		Nephroscope	01	4,00,000.00	4,00,000.00
8		Mini nephroscope	01	3,00,000.00	3,00,000.00
9		Pneumatic lithotripter (Lithoclast)	01	1,00,000.00	1,00,000.00
10		Monopolar resectoscope	01	4,00,000.00	4,00,000.00
11		Urethrectomy set	01	3,00,000.00	3,00,000.00
12	Ophthalmology	Handheld Autokeratorefractometer	01	10,00,000.00	10,00,000.00
13		ND Yag Laser	01	32,00,000.00	32,00,000.00
14		Low vision Aid devices	01 set	8,50,000.00	8,50,000.00
15	Gastro	Ambulatory 24 Hour pH Monitor & Impedance	01	8,00,000.00	8,00,000.00

		Recorder			
16		Multi para monitor	05	3,00,000.00	15,00,000.00
17		Duodenovideoscope (side viewing scope)	01	24,00,000.00	24,00,000.00
18		Videoprocessor for Duodenoscope	01	35,00,000.00	35,00,000.00
19	Paediatric Surgery	Cysto-urethroscope set	01 set	20,00,000.00	20,00,000.00
20		Laproscopic trocars and telescopes	01 set	18,00,000.00	18,00,000.00
21		OT Table	01	20,00,000.00	20,00,000.00
22		Laproscopic instrument set	01 set	18,00,000.00	18,00,000.00
23	Radiology & anaesthesia	Portable color Doppler ultrasound unit	02	50,00,000.00	1,00,00,000.00
24	Neonatology	Neonatal T Piece Resuscitator	01	4,00,000.00	4,00,000.00
25	Cardiac Surgery	Temporary dual chamber pacemaker	02	3,50,000.00	7,00,000.00
26		Hand instruments for minimally invasive cardiac surgery	01 set	45,00,000.00	45,00,000.00
27	Anaesthesia	Videolaryngoscope with 3 blades	01	25,00,000.00	25,00,000.00
28		Fiberless Intubating bronchoscope- size 5.5, compatible with existing system	01	22,50,000.00	22,50,000.00
29		Near infrated spectrometer	01	31,00,000.00	31,00,000.00
30	Transfusion Medicine	Portable Blood donor couch	04	1,50,000.00	6,00,000.00
31		Portable blood collection monitor	04	1,50,000.00	6,00,000.00
32	ENT	Otological surgery instruments	01 set	20,00,000.00	20,00,000.00
33		Endoscopic Surgery instruments	01 set	25,00,000.00	25,00,000.00
34		High Definition Camera system	01	45,00,000.00	45,00,000.00
35	PHO	Biosafety Cabinet Class 2 B2	01	15,00,000.00	15,00,000.00
36	Orthopaedics	C Arm	01	20,00,000.00	20,00,000.00
37		General Instrument set	04 set	10,00,000.00	40,00,000.00
38		HIP preservation set	01 set	30,00,000.00	30,00,000.00
39	Cardiology	Cardiac Cath lab (turnkey Project	01	7,00,00,000.00	7,00,00,000.00
				G. Total	**15,00,00,000.00**

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

xxiii. स्वीकृत धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही व्यय कर लिया जायेगा।

xxiv. धनराशि का आहरण तभी किया जाएगाए जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।

xxv. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी पी0एल0ए0/बैंक /डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा।

xxvi. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

xxvii. उपकरणों का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 उ0प्र0 प्रक्योरमेन्ट मैनुअल एवं उद्योग विभाग द्वारा समय.समय पर जारी होने वाले क्रय संबंधी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा , इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा। भण्डार क्रय संबंधी नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

xxviii. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी/संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

xxix. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

xxx. संबंधित उपकरण/संयंत्र की क्रय प्रक्रिया में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

xxxi. क्रय किये जाने वाले उपकरण चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत उपकरणों के क्रय संबंधी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार ही उपकरण क्रय किये जाएगें।

xxxii. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा।

xxxiii. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

xxxiv. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियां न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों का यथासम्भव समावेश किया जाए।

xxxv. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा समय.समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

xxxvi. क्रय किये जाने वाले उपकरण संस्थान की विभागवार अति आवश्यकता एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार ही उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।

xxxvii. धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त अधिकारी , बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान द्वारा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

xxxviii. क्रय किये जा रहे उपकरणों के आडिट का उत्तरदायित्व निदेशक संस्थान का होगा।

xxxix. संस्थान द्वारा उपकरणों की सूची में उल्लिखित जो उपकरण रू0 50.00 लाख से अधिक के हैए को एच0एल0पी0सी0 के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

xl. उपकरणों को सुसंगत नियमों के तहत गुणवत्ता के साथ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए युक्ति संगत दरों पर क्रय किया जाय तथा उपकरणों का Specification गुणवत्ता/आवश्य कता/उपयोगिता सुनिश्चित करने का दायित्व महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ तथा संस्थान के निदेशक एवं वित्त अधिकारी का होगा।

xli. प्रश्नगत उपकरणों की तकनीकी विशिष्टताएं डा0 अविनाश अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त ही क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

8- प्रस्तर-7 में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान , नोएडा हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपकरणों के अनुमोदन एवं क्रय किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही प्रस्तावित है:-

a. प्रस्तर-3 एवं प्रस्तर-5 में वर्णित उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय व्ययक के अनुदान संख्या-31 के मानक मद-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और सयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष रू0 800.00 लाख (रू0 आठ करोड़ मात्र) एवं रू0 700.00 लाख (रू0 सात करोड़ मात्र) अर्थात कुल 1500.00 लाख धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दिया जाय।

b. संस्थान द्वारा उपर्युक्त उपकरणों की सूची में जो रू0 50.00 लाख से अधिक के उपकरण है, को एच0एल0पी0सी0 के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संख्या- 24/2022/।/200998/2022/002-71400200222021

प्रेषक,

श्रुति सिंह,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान,
नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 11 अगस्त 2022

विषय:- बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा के गैर वेतन मद की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस.एस.पी.एच.एण्ड.पी.जी.टी.आई./2022/80, दिनांक 04.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05 - चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलोपैथी 03 शिक्षा 0370 सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान नोएडा की स्थापना के मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05 - चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलोपैथी 03 शिक्षा 0370 सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान नोएडा की स्थापना के मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 38,00,00,000/- (अड़तीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष (द्वितीय किश्त) के रूप में रू0 630,00,000/- (छः करोड़ तीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपने निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1.स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

2. धनराशि का आहरण वास्विक आवश्कतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके आभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

4.धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तों/ प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 6,30,00,000/-लाख (छः करोड़ तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050370 सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान नोएडा की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश FINRMSFINRMSFINRMS **सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या- ई-3-139/दस-2022-23, दिनांक 29.07.2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीया,

(श्रुति सिंह)
सचिव

संख्या-24/2022/।/200998/2022/002-71400200222021

प्रतिलिपि निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।**
2. **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।**
3. **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
4. **निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।**
5. **कोषाधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।**
6. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।**
7. **वित्त अधिकारी, बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।**
8. **वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2**
9. **नोडल अधिकारी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
10. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव